

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेडा

फौरन सिट बनाम डी रा सिट

किस्म मुकदमा दावा नं. 10/16 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13 <sup>6</sup> / <sub>18</sub>	<p>आज यह पत्रव्यक्ति राजस्व लोक अदालत उपखण्ड न्याय आपके द्वार कार्यवाही में फौरन सिट पत्रव्यक्ति आरिस्ट सुनवाई की गयी एवं पत्रव्यक्ति का कसबेका सिट गाना विवाह करारों के सम्बन्ध में मोके रिक्वेरी का सुनवाई प्रिये यह बताया गया है कि मोके पर आवेदन वकील डूहेई इशारे वरनाय नही शे सम्कहाई। राजस्व सिट में विवाह करारों के नं. 2375, 2390 103, 210 1500</p> <p>उक्त आदेश पर नही एवं गरीबों के शरण के पूर्व कसबे खालके रूप सिट है। सुनवाई में डी रा सिट का विवाह करारों के मोके सम्बन्ध व सम्कहा नही पाया जाय।</p> <p>उक्त कोफे है कि शय वकील राजस्व क्ल के डिप्टी सिट पात्र सुनवाई संव्य-1 का पत्रव्यक्ति सम्बन्ध विवेधात्र से इमेडा के लिए पात्र सिट पात्र है कि वह विवाह करारों में मोके इस्तफेदन करे। पत्र डिप्टी पत्रव्यक्ति पत्रव्यक्ति के मात सुनवाई के बाद तामील दाखिल करे। हुक्म सुनाया गया।</p>	